Rcms 2016/00056

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील

मिसल नं0 16/2016 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम नन्दलाल पुत्र देवलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-10-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री नन्दलाल आ0 देवललाल जाति बलाई सा0 पाचडा तहसील दीगोद को आवंटन शिविर दि0 19.06.86 मे गत ख0 नं0 1 रकबा 7 बीधा 10 बिस्वा ग्राम पाचडा तहसील दीगोद भूमि आवंटित हुई थी । दिनांक 19.09.86 को दखल लेने से मना किया तथा इस्तीफा दिया इसलिये उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 07.04.2016 को प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी के पुत्र धन्नालाल की ओर से श्री घनश्याम नागर एड0 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी नन्दलाल पुत्र देवलाल की मृत्यु दिनांक 25.02.2016 को हो चुकी है । जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र श्री प्रस्तुत किया है । चूंकि तहसीलदार दीगोद द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की मृत्यु के बाद बिना मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी के वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार दीगोद को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	